बनाम

[illegible]/12/19	पत्रा० पेश हुआ वकील प्रार्थी हाजिर कार्य व्यस्तता के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका पत्रा० वास्ते निर्णय दि० 30.12.19 को पेश हो
30/12/19	पत्रा० पेश हुआ वकील प्रार्थी हाजिर प्रा०प० पूर्णतः आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रा० बाद तामील मुताबिक हुक्म दाखिल [illegible] बाद हो अभिलेख रूम हो

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

वा.प. संख्या 92/2017

धन्ने सिंह पुत्र स्व. जमना जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर ।

– प्रार्थी –

बनाम

1. सुल्तान सिंह पुत्र जमना
2. श्रवण कुमार पुत्र स्व. देबूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर

3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा ग्राम दादिया जिला सीकर जरिये प्रबंधक
4. केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा कल्याण सर्किल सीकर
5. उपपंजियक कार्यालय सीकर
6. तहसीलदार सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री विजय कुमार शर्मा

वकील अप्रार्थीगण – ———

निर्णय

दिनांक – 30-12-19

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय जाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमियां ग्राम दादिया तहसील सीकर की तन में खसरा नम्बर 1322/545, 1323/545, 665 एवं 666 किता 4 कुल रकबा 4.6900 है0 अवस्थित है। जिनमें प्रार्थी का 1/2 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विगत कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी कारण के नाराज चल रहा है तथा 2 से साज कर रखी है। जिन्होने प्रार्थी की हक हिस्से की भूमि में दखलदांजी

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

कर रखी है। बिना बंटवारा करवाये बेचान करने पर आमादा है तथा पश्चिमी नींव सींव को खुर्द बुर्द कर सींव पर खड़े पेड़ों को काटने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई, जो आवेदन के अनुसार ही रही। हमने पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. प्रथम **दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 में खसरा नम्बर 1322/545, 1323/545, 665 एवं 666 किता 4 कुल रकबा 4.6900 है0 ग्राम दादिया तहसील सीकर की खातेदारी धन्नेसिंह पुत्र जमना हिस्सा 1/2 राहिन पीएनबी दादिया तथा सुल्तानसिंह पुत्र जमना हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह राहिन केन्द्रीय सहाकारी बैंक के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसके कब्जे काश्त में दखलदांजी करने व भूमि को बिना बंटवारा अन्यत्र विक्रय करने तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर कब्जे काश्त करने में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दखलदांजी करने का अधिकार नहीं है। बिना बंटवारा करवाये निर्माण या अन्य कार्य द्वारा मौका स्थिति को परिवर्तित करने का भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अधिकार नहीं है, लेकिन सहखातेदार (अप्रार्थी संख्या 1) को अपने हिस्से की भूमि को बेचान या रहन , दान करने से नहीं रोका जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवरणानुसार कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने व मौका स्थिति नहीं बने के बिन्दुओं तक प्रार्थी का ' प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रमाणित है।

22. सुविधा **का संतुलन** – विवादित भूमियां संयुक्त भूमियां है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने व मौका स्थिति नहीं बदलने के बिन्दु तक आंशिक रूप से प्रमाणित है।

3. अपूरणिय **क्षति** – दोनों बिन्दुओं के आधार पर यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित है ।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का बाबत ग्राम दादिया तहसील सीकर की तन में भूमि खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

1322/545, 1323/545, 665 एवं 666 किता 4 कुल रकबा 4.6900 है0 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तादौराने वाद प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 30/12/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर